

झारखंड सरकार
जल संसाधन विभाग।

आदेश सं.- 8/ज.स. (नि.) विविध-15-04/2014 (खण्ड):- /राँची, दिनांक:-

आदेश

श्री सुरेन्द्र प्रसाद सिंह (आई. डी.- 3286) सहायक अभियंता की सेवा ग्रामीण कार्य विभाग, राँची से वापस लेते हुए विभागीय अधिसूचना सं. 7776 दिनांक 21.12.13 द्वारा रूपोंकण प्रमण्डल सं.-2 मेदिनीनगर में पदस्थपित किया गया था। श्री सिंह द्वारा सरकारी/ स्थानान्तरण आदेश का अनुपालन ससमय नहीं किये जाने के कारण विभागीय पत्रांक 2717 दिनांक 27.03.14 द्वारा कारण पृच्छा की गई।

2. श्री सिंह से प्राप्त कारण पृच्छा की समीक्षा सरकार स्तर पर की गई सम्यक समीक्षोपरांत श्री सिंह को निम्न दण्ड देने का निर्णय लिया गया :-

(1) दो वेतन वृद्धि पर असंचयात्मक प्रभाव से रोक।

3. उक्त प्रस्ताव पर माननीय मंत्री महोदय का अनुमोदन प्राप्त है।

अतएव एतद द्वारा सरकार के उक्त निर्णय को संसूचित किया जाता है।

ह0/-

(बिन्दु माधव प्रसाद सिंह)
सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक:- 1742

राँची, दिनांक:- 13-4-15

प्रतिलिपि:- महालेखाकार, झारखण्ड, राँची/ कोषागार पदाधिकारी, मेदिनीनगर/ प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव, जल संसाधन विभाग, राँची/ संयुक्त सचिव (प्र.) जल संसाधन विभाग, राँची/ मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, मेदिनीनगर/ कार्यपालक अभियंता, रूपोंकण प्रमण्डल सं.- 02 मेदिनीनगर/ श्री सुरेन्द्र प्रसाद सिंह, सहायक अभियंता, रूपोंकण प्रमण्डल सं.-2, मेदिनीनगर / विभागीय वेब मैनेजर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।



(बिन्दु माधव प्रसाद सिंह)
सरकार के उप सचिव।

13-4-15